# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 1/2024 (अपील)

GCMS No. 2024/1

**अनवान**

1. श्री लिम्बाराम पिता स्व. भारता, गरासिया निवासी बेरण तहसील कोटडा ।
2. श्री नेनाराम पिता भारता गरासिया निवासी बेरण तहसील कोटडा।

– अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. श्रीमती कली पिता भारता गरासिया निवासी बेरन तहसील कोटडा।
2. श्री जालमा पिता भारता गरासिया निवासी बेरन तहसील कोटडा।
3. श्रीमती जीतली पिता काला गरासिया निवासी बेरन तहसील कोटडा।
4. श्री पप्पू पिता काला गरासिया निवासी बेरन तहसील कोटडा।
5. श्री मोती पिता भारता गरासिया निवासी बेरन तहसील कोटडा।
6. श्रीमती रेशमी पिता भारता गरासिया निवासी बेरन तहसील कोटडा।
7. श्रीमान तहसीलदार सा., तहसील कोटडा ।

– रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थित**

1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री राकेश गवारिया , अधिवक्ता रेस्पो. स. 1 से 6।
3. राजपैरोकार रेस्पो. न 7

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार गोगुन्दा नामा. सं. 289 दिनांक 30.05.2015

*** निर्णय ***

**दिनांक– 28.06.2024**

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 5 अवधी अधिनयम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया मौजा राजस्व ग्राम बेरन पटवार हल्का डांग के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संख्या 53 में अंकित आराजीयात कुल किता 11 कुल रकबा 0.9504 है. स्थित होकर वर्तमान समय में अपीलाण्ट के आधिपत्य में होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। मौजा बेरन में भारता नाम के दो व्यक्ति निवास करते थे जिसमें से भारता पिता रूपा की सन् 2012 में मृत्यु हो गई तथा भारता पिता प्रथा नाम के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

व्यक्ति ने दिनांक 29.02.2020 को मृत्यु हुई। भारता पिता रूपा की मृत्यु सन 2012 में होने से उसके नाम की राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि खाता संख्या 31 में अंकित आराजीयात का विरासत से नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 17.01.2013 को स्वीकृत कर लिया गया। उक्त तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में भूमि अंकित हो गई जो कि उक्त आराजीयात जमाबन्दी खाता सख्या 31 में दर्ज है। भारता पिता प्रथा की मृत्यु दिनांक 29.02.2020 को हुई जिस पर उनके वारिसान अपीलाण्ट ने हल्का पटवारी के पास जाकर अपने पिता की मृत्यु होने से नामान्तरकरण खुलवाने हेतु निवेदन किया तो जानकारी मिली कि उनके पिता के नाम पर राजस्व रेकार्ड में कोई भूमि अंकित नहीं है। इस पर राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां हासिल करने हेतु आवेदन किया तो जानकारी मिली की उनके पिता के नाम की आराजीयात जिनका कि जिक्र वर्तमान खाता संख्या 53 में अंकित कर रखा है। उक्त आराजीयात अपीलाण्ट के पिता के नाम होने के बावजूद ही नामान्तरकरण सख्या 289 दिनांक 30.05.2015 को रेस्पोडेन्ट के नाम पर अंकित हो गई मोती पत्नी भारता की मृत्यु हो जाने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। भारता नाम के एक ही गांव में दो व्यक्ति होने की वजह से रेस्पोडेन्ट के पिता भारता की मृत्यु सन् 2012 में हो जाने से अपीलाण्ट के पिता भारता आराजीयात सहवन से तथा राजस्व अधिकारियों की भूल की वजह से रेस्पोडेन्ट के नाम पर न्याय आपके द्वार के दौरान नायब तहसीलदार मेरपुर द्वारा दिनांक 30.05.2015 को नामान्तरकरण संख्या 289 स्वीकृत कर लिये जाने की वजह से अपीलाण्ट के पिता के नाम की भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गई इस वजह से राजस्व रेकर्ड में गलत नामान्तरकरण खुल जाने की वजह से नामान्तरकरण सख्या 289 को खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। विधि विरूद्ध स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण की अपील करने की राजस्व नियमों के माफिक कोई मयाद निर्धारित नहीं है। इस वजह से अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण प्रतिलिपियां नामान्तरकरण की नकल सहित दिनांक 01.02.2024 को मिली इस वजह से उक्त अपील अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 289 स्वीकृत दिनांक 30.05.2015 को खारिज फरमाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 53 में अंकित आराजीयात अपीलाण्ट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 6 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि भारता पिता रूपा की मृत्यु 2012 में हुई है एवं भारता पिता परथा नाम के व्यक्ति की मृत्यु 8 –9 साल बाद हुई है। भारता पिता परथा के नाम की जमीन हमारे नाम गलत दर्ज हो गई है। अपील स्वीकार किया जाने पर हम रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जमीन पर हमारा कब्जा नहीं है न ही हमारा हक व अधिकार बनता है। अतः निवेदन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

है कि अपील स्वीकार की जाकर उनके नाम पर उनके आधिपत्य वाली भूमि का नामान्तरकरण संख्या 289 के जरिये रेस्पोडेन्ट के खाते हो गई सो वापस अपीलाण्ट के खाते दर्ज किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। राजपैरोकार द्वारा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा निवेदन किया कि एक ही नाम के दो व्यक्ति होने से गलत नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपील स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 24.05.2022 को निर्णय की नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से मौजा बेरन में भारता नाम के दो व्यक्ति निवास करते थे जिसमें से भारता पिता रूपा की सन् 2012 में मृत्यु हो गई तथा भारता पिता प्रथा नाम के व्यक्ति ने दिनांक 29.02.2020 को मृत्यु हुई। भरता पिता रूपा की मृत्यु सन 2012 में होने से उसके नाम की राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि विरासत से नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 17.01.2013 को स्वीकृत कर लिया गया जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में भूमि अंकित हो गई। भारता पिता परथा की मृत्यु दिनांक 29.02.2020 को हुई इनके नाम की आराजीयात नामान्तरकरण सख्या 289 दिनांक 30.05.2015 को रेस्पोडेन्ट के नाम पर अंकित हो गई। भारता नाम के एक ही गांव में दो व्यक्ति होने की वजह से अपीलाण्ट के पिता भारता की आराजीयात सहवन से न्याय आपके द्वार के दौरान नायब तहसीलदार मेरपुर द्वारा दिनांक 30.05.2015 को नामान्तरकरण संख्या 289 स्वीकृत होने से रेस्पोडेन्ट के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गई। इस वजह से राजस्व रेकर्ड में गलत नामान्तरकरण पारित होने से नामान्तरकरण सख्या 289 को खारिज करवाना चाहते है। एक ही नाम के दो अलग–अलग व्यक्ति होने से नामान्तरकरण को पारित करने में त्रृटि हुई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश कर अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण को खारिज किया जाने में सहमति व्यक्त की है। अतः ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार मेरपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण में त्रृटि होने से भारता पिता प्रथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

के विधिक वारिसान की जांच कर सही वारिसान के नाम नामान्तरकरण पारित किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर मौजा बेरण पटवार हल्का डांग तहसील कोटडा का अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मेरपुर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक दिनांक 30.05.2015 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण उप तहसीलदार मेरपुर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि भेरा पिता प्रथा के विधिक वारिसान की जांच कर सही विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

( दीपेन्द्र सिंह राठौर )
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)